न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 22 / 2021 / दावा 136 एलआरएक्ट

झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम जाति जाट निवासी जाखडो की ढाणी, ज्ञानदासपुरा, दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील व रिछपालसिह करवां वादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 09.03. 2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 622 ता 626, 626 / 1089 किता 6 कुल रकबा 4.7100 है0 व ख.नं. 1023, 1024, 1025 / 1091 किता 3 कुल रकबा 1.9700 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 826, 828 किता 2 कुल रकबा 1.7000 हैक्टर ग्राम निमावास पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है, उक्त खातेदारी वादी के नाम झाबर पुत्र रामला के नाम से दर्ज है। यह कि वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम दर्ज है। यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम की जगह झाबर पुत्र रामला दर्ज हो गया है जो गलत है, झाबर पुत्र रामला की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम उद्‌घोषित किया जाकर तद्‌नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम के स्थान पर झाबर पुत्र रामला दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम है तथा झबरू राम जाखड पुत्र रामू राम व झाबर पुत्र रामला एक ही व्यक्ति है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

[illegible]र 622 ता 626, 626 / 1089 किता 6 कुल रकबा 4.7100 है0 व ख.नं. [illegible]1023, 1024, 1025 / 1091 किता 3 कुल रकबा 1.9700 है0 वाके ग्राम [illegible]तपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 826, 828 किता 2 कुल रकबा 1.7000 हैक्टर ग्राम निमावास पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम झबरू राम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम झबरूराम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सं. 2076—79 ग्राम दलतपुरा के खाता सं. 113 में झाबर पुत्र रामला ग्राम नीमावास खाता सं. 238 में झाबरमल पुत्र रामूराम व खाता सं. 40 पर झाबर पुत्र रामू दर्ज है। आवेदक के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में झबरूराम जाखड पुत्र रामूराम दर्ज है। ग्राम पं. दांता द्वारा बताया गया है कि झाबर पुत्र रामूराम व झबरूराम पुत्र रामूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादी का नाम झाबर उर्फ झबरूराम पुत्र रामूराम किया जाना अचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 622 ता 626, 626 / 1089 किता 6 कुल रकबा 4.7100 है0 व ख.नं. 1023, 1024, 1025 / 1091 किता 3 कुल रकबा 1.9700 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 826, 828 किता 2 कुल रकबा 1.7000 हैक्टर ग्राम निमावास पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम झबरू राम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6--7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

झबरूराम जाखड बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 22 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 09.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री बन्शीधर बाज्या व रिछपालसिंह कस्वां** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 622 ता 626, 626 / 1089 किता 6 कुल रकबा 4.7100 है0 व ख.नं. 1023, 1024, 1025 / 1091 किता 3 कुल रकबा 1.9700 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 826, 828 किता 2 कुल रकबा 1.7000 हैक्टर ग्राम निमावास पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम झाबर पुत्र रामला के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर झबरूराम जाखड़ पुत्र रामूराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.03.2021 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
तलबाना समन गवाह			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाकी इजराय हुक्मनामा		
बाकी इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ